मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ0 16–1761/2009/बी–1/दो, भोपाल दिनांक 05/05/2010
प्रति,

जिला दण्डाधिकारी,
जिला–ग्वालियर,
मध्यप्रदेश।

विषय–आर्म्स डीलर लायसेंस नवीनीकरण के संबंध में।
संदर्भ–आपका ज्ञाप क्र0 क्यू/आर्म्स डीलर/नो–5/10/2009, दिनांक 29.03.2010

–00–

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2– आर्म्स डीलर नवीनीकरण का नया मापदण्ड दिनांक 22.02.2010 को निर्धारित किया गया है इसमें आंशिक संशोधन दिनांक 12.03.2010 को किया जाकर कर गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। निर्धारित मापदण्ड की प्रति संलग्न प्रेषित है।

3– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आर्म्स डीलर नवीनीकरण के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था जिसके संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर द्वारा चाहा गया मार्गदर्शन	विभागीय मत
1	ऐसे आर्म्स डीलर जिनके लायसेंस 31.12.09 तक नवीनीकृत थे, और उनका कोटा वर्तमान में स्वीकृत आर्म्स एण्ड एम्यूनेशन से अधिक होने के कारण उनके पास शस्त्र/एम्यूनेशन वर्तमान स्वीकृत संख्या से अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में डीलर के यहां स्वीकृत कोटे के अतिरिक्त रायफल एवं कारतूस के संबंध में क्या कार्यवाही की जाना है।	दिनांक 31 दिसंबर की स्थिति में स्टॉक में नवीनीकृत संख्या में उपलब्ध अधिक मात्रा को रखने की अनुमति रहेगी परंतु नये शस्त्र/एम्यूनेशन क्रय करने की अनुमति नवीनीकृत मात्रा की सीमा से अधिक नहीं दी जावेगी।
2	ऐसे आर्म्स डीलर लायसेंसधारी जिनके लायसेंस 31.12.09 तक नवीनीकृत थे उनमें से कतिपय लायसेंसधारियों के लायसेंस प्रपत्र 11, 12 एवं 14 नवीनीकृत नहीं किये गये हैं लेकिन उनके लायसेंस निरस्त भी नहीं किये गये हैं ऐसी स्थिति में लायसेंसधारियों के लायसेंस निलंबित रखे जाऐ या स्वतः ही निरस्त मान्य किये जाऐं साथ ही उनके यहां उक्त लायसेंस के आधार पर स्टाक में शेष शस्त्र एवं कारतूस के संबंध में क्या कार्यवाही की जाए।	आर्म्स अधिनियम की धारा 15 एवं आर्म्स नियम 1962 की धारा 54 के अंतर्गत नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है। जिन आर्म्स डीलर लायसेंसधारियों के नवीनीकरण नहीं हुए हैं उनके लायसेंस स्वमेव ही समाप्त हो जायेंगे। इसके संबंध में अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। शेष बचे स्टॉक को जिले में संचालित शस्त्र डीलरों को हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

निरंतर–2

3	कुछ आर्म्स डीलर लायसेंसधारियों द्वारा आर्म्स फेक्ट्रियों में आर्म्स क्रय हेतु वर्ष 2008 एवं 2009 में स्वीकृत कोटे अनुसार शस्त्रों की बुकिंग की गई थी तथा उनकी डिलेवरी फैक्ट्री द्वारा इस वर्ष दी जा रही है लेकिन इस वर्ष उनका कोटा कम हो जाने से उनके पास स्वीकृत कोटे से अधिक शस्त्र एम्यूनेशन हैं ऐसी स्थिति में फैक्ट्री से जो कोटा आवंटित हुआ है उसके उठाये जाने की अनुमति उनके द्वारा चाही जा रही है। अतः इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाए।	आर्म्स डीलर लायसेंसधारियों द्वारा यदि दि.31.12.09 के पूर्व शस्त्रों के बुकिंग हेतु ऑर्डर दिये हैं एवं राशि संबंधित कारखाने को भेजा जा चुका है उन्हें अपनी दुकान में निर्धारित अधिकतम मात्रा की सीमा में शस्त्र/ऐम्यूनेशन रखने की अनुमति होगी, परंतु निर्धारित मात्रा से अधिक शस्त्र/एम्यूनेशन पुलिस लाईन में जमा कराने हेतु अनुमति जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जाऐगी।

(एल०पी०जैन)
अवर सचिव
म०प्र०शासन,गृह(पुलिस)विभाग

पृ०क० एफ० 16–1761/2009/बी–1/दो, भोपाल दिनांक 05/05/2010

प्रतिलिपि–समस्त जिला दण्डाधिकारी,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/–
अवर सचिव
म०प्र०शासन,गृह(पुलिस)विभाग